फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

बनाम

भंवरसिंह वगैरा

मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 37 सन् 2017

तारीख	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.02.17	प्रार्थी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि मौजा गोगासर के खेत खसरा नंम्बर 364 व मौजा गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 108, 109, 110 पटवार मण्डल गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थी की भूमि में विप्रार्थीगण बैचान करने, नया निर्माण करने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 28.03.2017 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा गोगासर पटवार मण्डल गिड़ा के खसरा नम्बर 364 रकबा 104.08 बीघा व मौजा गिड़ा पटवार मण्डल गिड़ा के खसरा नम्बर 108, 109, 110 रकबा क्रमशः 01.06, 00.05, 43.07 बीघा की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करें तथा न ही किसी प्रकार का बैचान करें, तथा मौके व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 28.03.2017 को पेश हों। (SDO)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:28:32 IST
Reason: SelfAttested

सेवा सं.

29/03/17 प्रार्थी व प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं अत: मिशल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 03/05/17 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।

03/05/17 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 02/06/17 को पेश हो, तबतक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

9.6.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई, मूल वाद में वादी अधिवक्ता के Not Press के वाद खारिज किया जा चुका है लिहाजा प्रार्थना पत्र Not Press में खारिज किया जाता है। मूलवाद में Covid-19 के कारण रेस्टोरेसन / नवीनवादका अवसर देय होगा। प्रा० पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

विवेक व्यास
9.6.2020
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:28:32 IST
Reason: SelfAttested